

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 305 ]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 14 जून 2010—ज्येष्ठ 24, शक 1932

उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 जून 2010

क्र. एफ-58-10-अड़तीस-3.—यतः, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट, सतना के कार्यकलापों के कुप्रबंध के संबंध में उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट तथा सामग्री के आधार पर, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उद्भूत हो गई है जिसमें महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1991 (क्रमांक 9 सन् 1991) के उपबंधों के अनुसार उक्त विश्वविद्यालय का प्रशासन नहीं चलाया जा सकता है और इसलिये विश्वविद्यालय के हित में यह समीचीन है कि उक्त अधिनियम की धारा 44-क के उपबंधों को लागू किया जाए, ताकि विश्वविद्यालय के हितों का अहित किए बिना प्रशासन चलाया जा सके.

अतएव, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 (क्रमांक 9 सन् 1991) की धारा 44-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की उपधारा (2), (3), (4) तथा (5) के उपबंध उक्त विश्वविद्यालय को 14 जून 2010 से लागू होंगे.

No. F-58-10-XXXVIII-3.—WHEREAS, on the basis of a report and material which has been made available regarding mismanagement of affairs of Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya, Vishwavidyalaya, Chitrakoot, Satna, the State Government is satisfied that a situation has arisen in which the administration of the said University can not be carried out in accordance with the provisions of the Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya, Adhiniyam, 1991 (No. 9 of 1991) and it is therefore expedient in the interest of the University that the provisions of Section 44-A of the said Act be enforced so that the administration can be carried out without detriment to the interest of the University.

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 44-A of the Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya, Adhiniyam, 1991 (No. 9 of 1991), the State Government, hereby, directs that the Provisions of sub-sections (2), (3), (4) and (5) of the said Act shall apply to the said University from 14th June 2010.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जयदीप गोविन्द, प्रमुख सचिव.